मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड

1302. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 31 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स गोलचा प्रापर्टीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली के लेनदारों के संबंध में जो मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल, 1967 को होनी थी, क्या उस के बारे में इस बीच उस न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सुनवाई, जो 4 अप्रैल 1967 को निश्चित की थी, 17 अप्रैल, तथा पुनः 27 अप्रैल को स्थगित कर दी गई। कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत संशोधित योजना मिसिल कर दी। पक्षों की सुनवाई, करने के के पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय ने आपत्तियां मिसिल करने के लिये 3 मई, तक की अवधि का आदेश दे दिया। 3 मई, 1967 को न्यायालय ने, संशोधित योजना पर विचार करने तथा अनुमोदन करने के लिये, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, जयपुर, में 28 जून, 1967 को कम्पनी के लेनदारों की एक मीटिंग संयोजन करने का आदेश पारित कर दिया।

भोजन यान के साथ चलने वाले कर्मचारी

1303. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम और मध्य रेलवे की अप और डाउन एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजन कारों के साथ चलने वाले बैरों, बटलरों, बेकरों, मैनजरों आदि कर्मचारियों को 25 से 30 घंटे तक लगातार कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों को कार्य के घंटों के दौरान कोई राहत अथवा विश्राम नहीं दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इन गाड़ियों में साथ चलने वाले कितने कर्मचारी हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार सरकार द्वारा केन्द्र को खनिजों की सप्लाई

1304. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के खाद्य मंत्री ने कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें दूसरे राज्यों से अन्न मंगाने की अनुमति नहीं दी तो (जैसा कि 1 अप्रैल, 1967 के नवभारत टाईम्स में छपा है) वे केन्द्रीय सरकार को खनिज पदार्थ भेजना बन्द कर देंगे ; और